

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार

बनाम

मोहम्मद हुसैन (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से

जून 30, 1994

[एम.एम. पुंछी, एस.सी. अग्रवाल और बी.पी. जीवन रेड्डी, न्यायमूर्तिगण]

पांडिचेरी भूमि सुधार (भूमि पर सीमा नियत करना) अधिनियम, 1973 : धारा 4, 6, और 9(2)(क)-भूमि जोत-सीमा क्षेत्र-का निर्धारण-नियत दिन-का महत्व-नियत दिन के बाद किसी अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या किसी अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण परिवार में परिवर्तन-अभिनिर्धारित, सीमा क्षेत्र की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 39-सामान्य हित के भौतिक संसाधन-भूमि-का न्यायसंगत वितरण-के लिए विधान-पांडिचेरी भूमि सुधार (भूमि जोत पर सीमा नियत करना) अधिनियम, 1973-अभिनिर्धारित, सामान्य हित के लिए भूमि का अधिक न्यायसंगत वितरण प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया विधान।

सांविधिक निर्वचन: सामाजिक विधान-उपबंध-का निर्वचन-अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्वचन किया जाना चाहिए।

पांडिचेरी भूमि सुधार (भूमि पर सीमा नियत करना) अधिनियम, 1973 की धारा 8 के अंतर्गत प्रकाशित प्रारूप विवरण में, उत्तरदाता के परिवार की 18.10.08 मानक हेक्टेयर भूमि को नियत दिन पर सीमा क्षेत्र से अधिक दर्शाया गया था। उत्तरदाता ने (दीवानी अपील संख्या 135 वर्ष 1979 में) एक आपत्ति दायर की कि उसके दो अवयस्क पुत्रों के हिस्से, जो नियत दिन और अधिसूचित तिथि के बीच वयस्क हो गए थे, को परिवार की जोत से अपवर्जित किया जाना चाहिए। अधिकृत अधिकारी ने आपत्ति को खारिज कर दिया। उत्तरदाता की अपील

को भूमि न्यायाधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। व्यथित होकर, सरकार ने विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की। अन्य दो अपीलें भी समान परिस्थितियों में दायर की गई थीं।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह निवेदन किया गया था कि अधिनियम की धारा 6 और 7(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के आलोक में अधिशेष भूमि का निर्धारण केवल नियत दिन के संदर्भ में किया जाएगा और नियत दिन के पश्चात परिवार में कोई भी परिवर्तन परिवार के सदस्यों द्वारा रखी जाने वाली सीमा क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

अपीलों को अनुज्ञात करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. पांडिचेरी भूमि सुधार (भूमि पर सीमा नियत करना) अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत परिवार के सीमा क्षेत्र की गणना करते समय नियत दिन के बाद किसी अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या किसी अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण परिवार में किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो नियत दिन के बाद परिवार में ऐसा परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप सीमा क्षेत्र की पुनर्गणना का उपबंध करता हो। [292-एच,सी]

1.2. अधिनियम की धारा 9(2)(क) जो नियत दिन के बाद लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण परिवार में परिवर्तनों से संबंधित है, का निर्वचन नियत दिन के बाद लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले किसी अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या किसी अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण परिवार में हुए परिवर्तन को कवर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 9(2)(क) का अंतर्निहित उद्देश्य एक परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण नियत दिन और अधिसूचित तिथि के बीच होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर सीमा क्षेत्र को और कम करना है। उक्त उपबंध का सहारा लेकर किसी अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या किसी

अविवाहित पुत्री का विवाह होने के परिणामस्वरूप परिवार में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखकर सीमा क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है। [292-डी-ई]

1.3. उच्च न्यायालय सीमा क्षेत्र की गणना और अधिशेष भूमि के निर्धारण के मामले में "नियत दिन" अभिव्यक्ति को पर्याप्त महत्त्व न देने में त्रुटि पर था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भले ही अधिनियम 5 अक्टूबर, 1973 को लागू हुआ था, लेकिन नियत दिन 24 जनवरी, 1971 है, जो अधिनियम के लागू होने की तिथि से बहुत पहले की तिथि है। सीमा क्षेत्र की गणना और अधिशेष भूमि के निर्धारण के मामले में नियत दिन का महत्त्व अधिनियम की क्रमशः धारा 6, 7(1) और 4(4) में अंतर्विष्ट उपबंधों से स्पष्ट है, जो किसी व्यक्ति को नियत दिन को और उससे सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने से प्रतिषेधित करते हैं, नियत दिन पर सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति को विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता रखते हैं, और नियत दिन के बाद लेकिन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री, उपहार आदि द्वारा स्थानांतरित भूमि को अपवर्जित करते हैं। ये उपबंध स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि सीमा से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली सीमा क्षेत्र के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि नियत दिन है। [290-ई-एच, 291-ए]

राजगोपाल पिल्लै बनाम तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य, ए.आई.आर. (1973) मद्रास 68 और थिरुमथी राजम सिवासुब्रमण्यम उर्फ मथु मीनाक्षी वीरलक्ष्मी नागाम्माल बनाम अधिकृत अधिकारी (भूमि सुधार) तिरुनेलवेली एवं एक अन्य, (1979) लॉ वीकली 527, को अस्वीकृत किया गया।

2. अधिनियम सामान्य हित के लिए भूमि का अधिक न्यायसंगत वितरण प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अधिनियमित किया गया विधान है ताकि संविधान के अनुच्छेद 39 में अंतर्विष्ट निदेशक तत्वों को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे विधान के उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके और उसे विफल

न किया जा सके। अधिनियम की धारा 9(2)(क) के उपबंध पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्वचन अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत चलता है और अधिनियम के उपबंधों में ऐसा कोई संकेत नहीं है जो धारा 9(2)(क) पर ऐसा निर्वचन देने को न्यायसंगत ठहराता हो।

[292-एफ-जी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1979 की दीवानी अपील संख्या 135 आदि आदि।

मद्रास उच्च न्यायालय के सी.आर.पी. संख्या 2118 वर्ष 1970 में दिनांक 16.11.77 के निर्णय और आदेश से उद्धृत।

अपीलकर्ता के लिए ए.एस. नांबियार, पी.के. मनोहर और श्रीमती शांता वासुदेवन।

उत्तरदाता के लिए जी.वी. अय्यर और के.आर. नांबियार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति। विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6468/80 में अनुमति प्रदान की जाती है।

ये अपीलें पांडिचेरी भूमि सुधार (भूमि पर सीमा नियत करना) अधिनियम, 1973 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9(2)(क) के निर्वचन से जुड़े एक साझा प्रश्न को उठाती हैं। प्रश्न यह है : क्या धारा 9(2)(क), जो यह उपबंध करती है कि नियत दिन के बाद, नियत दिन पर 6 मानक हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले परिवार के सीमा क्षेत्र की गणना के उद्देश्य से, अधिकृत अधिकारी केवल उस परिवार के उन सदस्यों को ध्यान में रखेगा जो अधिसूचित तिथि पर जीवित हैं, की यह आवश्यकता है कि उन मामलों में जहां नियत दिन पर परिवार के सदस्यों में से एक अविवाहित पुत्री या अवयस्क पुत्र है और उक्त अविवाहित पुत्री का विवाह हो जाता है या अवयस्क पुत्र नियत दिन के बाद और अधिसूचित तिथि से पहले वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो परिवार के सीमा क्षेत्र को नियत करने के उद्देश्य से परिवार की जोत में उक्त पुत्री या पुत्र के हिस्से को अपवर्जित किया जाना चाहिए।

अधिनियम को कृषि भूमि जोत पर सीमा नियत करने और पांडिचेरी और कराइकल के क्षेत्रों में उससे जुड़े कुछ अन्य मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। धारा 2 की उपधारा (4) के अंतर्गत, "नियत दिन" अभिव्यक्ति को जनवरी, 1971 का 24 वां दिन परिभाषित किया गया है। "परिवार" अभिव्यक्ति को धारा 2 की उपधारा (10) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

'परिवार', किसी व्यक्ति के संबंध में, से तात्पर्य उस व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति और उसके या उसके अवयस्क पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों से है।"

'अधिसूचित तिथि' को धारा 2(24) में सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि परिभाषित किया गया है। धारा 4 प्रत्येक व्यक्ति के मामले में और पांच से अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार के मामले में सीमा क्षेत्र को 6 मानक हेक्टेयर नियत करती है। जहां परिवार में पांच से अधिक सदस्य होते हैं, वहां सीमा क्षेत्र में पांच से अधिक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 1.2 मानक हेक्टेयर की वृद्धि की जाती है, लेकिन किसी भी परिवार द्वारा रखी गई भूमि की कुल सीमा किसी भी मामले में सीमा क्षेत्र से दोगुनी, अर्थात् 12 मानक हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी। धारा 4 की उपधारा (4) में यह निर्धारित किया गया है :

"4(4): किसी भी व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमि की सीमा की गणना करने में, उस व्यक्ति द्वारा नियत दिन के बाद लेकिन इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बिक्री, उपहार या अन्यथा द्वारा स्थानांतरित या विभाजित की गई किसी भी भूमि को ध्यान में रखा जाएगा मानो ऐसी भूमि स्थानांतरित या विभाजित नहीं की गई थी, जैसा भी मामला हो।"

धारा 6 निम्नानुसार उपबंध करती है :

'6. नियत दिन को और उससे, कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, लेकिन अध्याय VI के उपबंधों के अधीन, सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने का हकदार नहीं होगा ;

परंतु यह कि किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमि की कुल सीमा की गणना करने में, अधिकृत अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी व्यक्ति को सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने की अनुमति दे सकता है यदि अधिकृत भूमि की सीमा तर भूमि के मामले में 0.2 हेक्टेयर और शुष्क भूमि के मामले में 0.4 हेक्टेयर से अधिक नहीं है।'

धारा 7 की यह आवश्यकता है कि सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से तीस दिनों के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन पर सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखता था, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे दिन रखी गई सभी भूमि के संबंध में, उस अधिकृत अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसे व्यक्ति की जोत या उसका मुख्य भाग स्थित है, उपधारा (1) के खंड (i) से (viii) में विनिर्दिष्ट विवरणों वाली एक विवरणी प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामले में जहां एक व्यक्ति जिसने सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखी है, धारा 7 के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या एक गलत या अपूर्ण विवरणी प्रस्तुत करता है, तो धारा 8 की उपधारा (1) अधिकृत अधिकारी को नोटिस जारी करने की शक्ति देती है जिसमें ऐसे व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, विवरणी या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। जहां एक व्यक्ति जिस पर धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत नोटिस तामील किया गया है, उस नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञात आगे के समय के भीतर, यथास्थिति, विवरणी या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अधिकृत अधिकारी को धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा या तो स्वयं या ऐसी एजेंसी के माध्यम से जिसे वह उचित समझे, आवश्यक सूचना प्राप्त करने की शक्ति दी गई है। धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिकृत

अधिकारी से सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले या रखे हुए माने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में एक प्रारूप विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। उक्त प्रारूप विवरण में धारा 9(1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) से (xi) में उल्लिखित विवरण शामिल होना आवश्यक है।

धारा 9 की उपधारा (2) निम्नानुसार उपबंध करती है :

(क) नियत दिन के बाद, नियत दिन पर 6 मानक हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले परिवार के सीमा क्षेत्र की गणना के उद्देश्य से, अधिकृत अधिकारी केवल उस परिवार के उन सदस्यों को ध्यान में रखेगा जो अधिसूचित दिन पर जीवित हैं।

(ख) नियत दिन के बाद, किसी अन्य परिवार के सीमा क्षेत्र की गणना के उद्देश्य से, अधिकृत अधिकारी केवल उस परिवार के उन सदस्यों को ध्यान में रखेगा जो उपधारा (1) के अंतर्गत प्रारूप विवरण की तैयारी की तिथि पर जीवित हैं।"

धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत तैयार प्रारूप विवरण को धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना आवश्यक है और उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति पर तथा साथ ही उन व्यक्तियों पर तामील की जानी आवश्यक है जो अधिकृत अधिकारी की राय में भूमि में हितबद्ध हैं, इसके साथ एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें यह कथन होगा कि प्रारूप विवरण पर कोई भी आपत्ति ऐसे नोटिस के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। धारा 9 की उपधारा (6) यह निर्धारित करती है कि प्राप्त आपत्तियों पर अधिकृत अधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए और आपत्तिकर्ता को सुनवाई का और साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का एक तर्कसंगत अवसर दिया जाना चाहिए। धारा 11 यह निर्धारित करती है कि आपत्तियों के निपटारे के बाद, यदि कोई हो, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रखी गई संपूर्ण भूमि, सीमा क्षेत्र के भीतर उसके द्वारा रखी जाने वाली भूमि और अधिशेष घोषित भूमि को विनिर्दिष्ट करने वाला अंतिम विवरण प्रकाशित किया जाएगा। धारा 17(1) अंतिम विवरण के प्रकाशन के बाद अधिशेष भूमि के अधिग्रहण का उपबंध करती है और उस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा एक

अधिसूचना जारी की जानी आवश्यक है कि अधिशेष भूमि की आवश्यकता एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है। धारा 17(3) उपबंध करती है कि ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि और ऐसी भूमि पर खड़े वृक्षों और भवनों, मशीनरी, संयंत्र, उपकरण, कुओं, फिल्टर पॉइंट या बिजली लाइनों के साथ जो ऐसी भूमि पर निर्मित, खड़े या नियत किए गए हैं और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन, एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित और ऐसे प्रकाशन की तिथि से सभी विल्लंगमों से मुक्त सरकार में निहित माने जाएंगे और ऐसी भूमि में सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार, हक और हित, उक्त तिथि से, विलुप्त माने जाएंगे। धारा 21 नियत दिन के बाद उत्तराधिकार वसीयत द्वारा या डिक्री के निष्पादन में बिक्री आदि द्वारा अधिग्रहण पर सीमा से निपटती है और उस व्यक्ति द्वारा जिसने इस प्रकार भूमि अधिग्रहित की है, अधिकृत अधिकारी के समक्ष विवरणी दाखिल करने का निर्धारित करती है। धारा 21 की उपधारा (2) निम्नानुसार उपबंध करती है :

"(2) यदि, नियत दिन को या उसके बाद विवाह या दत्तक ग्रहण के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमि की सीमा कुल मिलाकर सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाती है, तो वह, अधिसूचित तिथि से या विवाह या दत्तक ग्रहण की तिथि से, जो भी तिथि बाद में हो, तीस दिनों के भीतर, उस अधिकृत अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में उसकी जोत या उसका मुख्य भाग स्थित है, निम्नलिखित विवरणों वाली एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, अर्थात् : -

- (i) विवाह या दत्तक ग्रहण की तिथि से पहले रखी गई भूमि के विवरण;
- (ii) विवाह या दत्तक ग्रहण की तिथि के बाद रखी गई भूमि के विवरण;
- (iii) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जाएं।"

तीनों अपीलों में तथ्य समान हैं। हम संक्षिप्त रूप से दीवानी अपील संख्या 135 वर्ष 1979 के तथ्यों का संदर्भ लेंगे।

अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकाशित प्रारूप विवरण के अनुसार, नियत दिन पर सीमा क्षेत्र से अधिक 18.10.08 मानक हेक्टेयर की सीमा दर्शाई गई थी। उत्तरदाता, मोहम्मद हुसैन ने एक आपत्ति दायर की कि उसके अवयस्क पुत्रों, शराफुद्दीन और अब्दुल हमीद, की जोत को, जो अधिसूचित तिथि पर वयस्क हो गए थे, परिवार के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित किया जाना चाहिए। उक्त आपत्ति को अधिकृत अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था लेकिन अपील पर भूमि न्यायाधिकरण (अधीनस्थ न्यायाधीश), कराइकल, ने उक्त आपत्ति को पुष्ट किया और अभिनिर्धारित किया कि अवयस्क पुत्रों की जोत, जो नियत दिन और अधिसूचित तिथि के बीच वयस्क हो गए थे, को सीमा क्षेत्र की संगणना करने में भूमि स्वामी के परिवार की जोत से अपवर्जित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय (कैलासम, न्यायमूर्ति, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश तब थे) *राजगोपाल पिल्लै बनाम तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य*, ए.आई.आर. (1973) मद्रास 68 पर भरोसा किया गया था। भूमि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय (इस्माइल, न्यायमूर्ति) द्वारा इस दृष्टिकोण पर खारिज कर दिया गया था कि न्यायाधिकरण का आदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है।

अन्य दो अपीलों में भी नियत दिन पर एक अवयस्क पुत्र था जिसने अधिसूचित तिथि से पहले वयस्कता प्राप्त कर ली थी और यह दावा किया गया था कि परिवार के सीमा क्षेत्र को नियत करते समय परिवार की भूमि में उसका हिस्सा अपवर्जित किया जाना चाहिए। उक्त आपत्तियों को भूमि न्यायाधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया गया है और भूमि न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं।

राजगोपाल पिल्लै बनाम तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य (उपरोक्त) में विचारणीय उपबंध मद्रास भूमि सुधार (भूमि पर सीमा नियत करना) अधिनियम, 1961 की धारा 10(2) (क) था। उस मामले में परिवार में एक पुत्री शामिल थी जो नियत दिन पर अविवाहित थी लेकिन उसके बाद अधिसूचित तिथि से पहले उसका विवाह हो गया था। यह अभिनिर्धारित

किया गया था कि चूंकि धारा 10(2) यह मानती है कि अधिकृत अधिकारी केवल परिवार के उन सदस्यों को ध्यान में रखेगा जो अधिसूचित तिथि पर जीवित हैं जिसका अर्थ है कि परिवार का सीमा क्षेत्र अधिसूचित तिथि पर मामलों की स्थिति के संदर्भ में नियत किया जाना चाहिए और जैसे कि अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि और अधिसूचित तिथि के बीच परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में, उस व्यक्ति को पारिवारिक जोत नियत करने में अपवर्जित करना होगा, उसी प्रकार इसका तार्किक रूप से यह अर्थ होगा कि अधिकृत अधिकारी अधिसूचित तिथि पर परिवार के सदस्यों को अवयस्क के वयस्क होने या अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण होने वाली कमी को ध्यान में रखकर नियत कर सकता है जो 'परिवार' की परिभाषा के आधार पर उक्त परिभाषा से अपवर्जित हैं। यह दृष्टिकोण अपनाते में विद्वान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व अप्रतिवेदित निर्णय (रामानुजम, न्यायमूर्ति) सी.आर.पी. संख्या 854 वर्ष 1967 पर भरोसा किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर एक अवयस्क अधिसूचित तिथि से पहले वयस्क हो जाता है, तो पारिवारिक सीमा क्षेत्र को नियत करने में उसका हिस्सा अपवर्जित किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि *थिरुमथी राजम सिवासुब्रमण्यम उर्फ मथु मीनाक्षी वीरलक्ष्मी नागाम्माल बनाम अधिकृत अधिकारी (भूमि सुधार) तिरुनेलवेली एवं एक अन्य*, (1979) लॉ वीकली 527 में, इस्माइल, न्यायमूर्ति ने वही दृष्टिकोण अपनाया है जो कैलासम, न्यायमूर्ति द्वारा *राजगोपाल पिल्लै बनाम तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य* (उपरोक्त) में अपनाया गया था।

विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6468/80 से उत्पन्न अपील में उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि धारा 9(2)(क) और (ख) के उपबंध तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर सीमा नियत करना) अधिनियम, 1961 की धारा 10(2)(क) और (ख) के उपबंधों के *समान विषयवस्तु* वाले हैं जिन पर कैलासम, न्यायमूर्ति द्वारा *राजगोपाल पिल्लै बनाम तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य* (उपरोक्त) में विचार किया गया था और अधिनियम

की धारा 9(2)(क) और (ख) तथा तमिलनाडु अधिनियम की धारा 10(2)(क) और (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों को पढ़ने से, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि नियत दिन और अधिसूचित तिथि से पहले स्थिति में जो भी परिवर्तन या बदलाव होते हैं उन्हें मान्यता देनी होगी और संगणना इन परिवर्तनों और स्थिति में बदलावों के आधार पर की जानी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 6, जो नियत दिन का संदर्भ देती है, केवल भविष्य के अधिग्रहण के विरुद्ध वैधानिक रोक का उपबंध करती है और धारा 9 के अंतर्गत प्रारूप विवरण की संगणना, तैयारी और प्रकाशन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि केवल अधिसूचित तिथि है।

अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.एस. नांबियार ने आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय नियत दिन के महत्व की उपेक्षा करने और अधिसूचित तिथि पर बल देने में त्रुटि पर था और उस आधार पर यह अभिनिर्धारित करने में कि नियत दिन और अधिसूचित तिथि के बीच परिवार में अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण होने वाले परिवर्तन को भूमि स्वामी द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की सीमा की गणना करते समय ध्यान में रखना होगा। श्री नांबियार का निवेदन यह है कि अधिनियम की धारा 6 और 7(1) में अंतर्विष्ट स्पष्ट उपबंधों के आलोक में अधिशेष भूमि का निर्धारण केवल नियत दिन के संदर्भ में किया जाना है और नियत दिन के पश्चात परिवार में कोई भी परिवर्तन परिवार के सदस्यों द्वारा रखी जा सकने वाली सीमा क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, और उच्च न्यायालय धारा 9(2)(क) के उपबंधों का यह अर्थ लगाने में त्रुटि पर था कि सीमा क्षेत्र की गणना परिवार में नियत दिन के बाद लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर की जानी है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी. विश्वनाथ अय्यर ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन किया है और आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय ने

अधिनियम के उपबंधों का सही निर्वचन किया है और यह अभिनिर्धारित करने में कि नियत दिन के बाद लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले परिवार में होने वाले परिवर्तन को परिवार के सीमा क्षेत्र की गणना करते समय ध्यान में रखना होगा।

उच्च न्यायालय हमारी राय में, सीमा क्षेत्र की गणना और अधिशेष भूमि के निर्धारण के मामले में "नियत दिन" अभिव्यक्ति को पर्याप्त महत्व न देने में त्रुटि पर था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भले ही अधिनियम 5 अक्टूबर, 1973 को लागू हुआ था, लेकिन नियत दिन 24 जनवरी, 1971 है, जो अधिनियम के लागू होने की तिथि से बहुत पहले की तिथि है। इसका कारण यह है कि अधिनियम को कृषि जोत पर सीमा नियत करने के संबंध में भूमि सुधार पर केंद्रीय समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है। 24 जनवरी, 1971, जिसे नियत दिन के रूप में नियत किया गया है, का संदर्भ भूमि सुधार पर केंद्रीय समिति की उक्त बैठक से है। सीमा क्षेत्र की गणना और अधिशेष भूमि के निर्धारण के मामले में नियत दिन का महत्व अधिनियम की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों से स्पष्ट है जो यह निर्धारित करती है कि नियत दिन को और उससे कोई भी व्यक्ति, अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने का हकदार नहीं होगा। इसी प्रकार धारा 7 की उपधारा (1) की यह आवश्यकता है कि जो व्यक्ति नियत दिन पर सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखता था, वह उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अधिकृत अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करे। धारा 4 की उपधारा (4) उस भूमि को अपवर्जित करती है जिसे नियत दिन के बाद लेकिन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री, उपहार या अन्यथा द्वारा स्थानांतरित या विभाजित किया गया था। पूर्वोक्त उपबंध स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि सीमा से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति द्वारा रखी जा सकने वाली सीमा क्षेत्र के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि नियत दिन है।

अधिनियम निम्नलिखित उपबंधों में नियत दिन के बाद होने वाले परिवर्तनों पर विचार करने की परिकल्पना करता है :

(i) धारा 9(2)(क) जो नियत दिन पर 6 मानक हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले परिवार पर लागू होती है और अधिकृत अधिकारी से परिवार के सीमा क्षेत्र की नियत दिन के बाद गणना करने के उद्देश्य के लिए केवल परिवार के उन सदस्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता रखती है जो अधिसूचित तिथि पर जीवित हैं;

(ii) धारा 9(2)(ख) जो धारा 9(2)(क) के अंतर्गत कवर किए गए परिवार के अलावा किसी अन्य परिवार पर लागू होती है और अधिकृत अधिकारी से परिवार के सीमा क्षेत्र की नियत दिन के बाद गणना करने के उद्देश्य के लिए केवल परिवार के उन सदस्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता रखती है जो प्रारूप विवरण की तैयारी की तिथि पर जीवित हैं;

(iii) धारा 21 की उपधारा (1) जो नियत दिन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से उत्तराधिकार या वसीयत द्वारा भूमि के अधिग्रहण और नियत दिन के बाद लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले दीवानी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में या किसी अन्य विधिक प्राधिकारी के पंचाट या आदेश द्वारा बिक्री द्वारा अधिग्रहण से निपटती है और उपबंध करती है कि यदि ऐसी भूमि उसके द्वारा पहले से रखी गई भूमि, यदि कोई हो, के साथ मिलकर कुल मिलाकर सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाती है, तो वह अधिसूचित तिथि से या ऐसे अधिग्रहण की तिथि से, जो भी बाद में हो, 30 दिनों के भीतर, उस अधिकृत अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में उसकी जोत या उसका मुख्य भाग स्थित है, उपधारा (1) के खंड (i) से (vii) में संदर्भित विवरणों वाली एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(iv) धारा 21 की उपधारा (2) जो ऐसी स्थिति से निपटती है जहां किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमि की सीमा नियत दिन को या उसके बाद विवाह या दत्तक ग्रहण के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को भी, अधिसूचित तिथि से या विवाह या दत्तक ग्रहण की तिथि से, जो भी बाद में हो, 30 दिनों के भीतर, उस अधिकृत अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में उसकी जोत या उसका मुख्य भाग स्थित है, उस उपधारा में निर्धारित विवरणों वाली एक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त उपबंधों से यह प्रतीत होगा कि जहाँ धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ख) नियत दिन के बाद परिवार के एक सदस्य की मृत्यु को ध्यान में रखकर परिवार के सीमा क्षेत्र को कम करने का प्रयास करते हैं, वहीं धारा 21 की उपधारा (1) और (2) उन मामलों से निपटती हैं जहाँ उत्तराधिकार या वसीयत या डिक्री के निष्पादन में बिक्री आदि द्वारा भूमि के अधिग्रहण के कारण, या विवाह या दत्तक ग्रहण के परिणामस्वरूप नियत दिन के बाद किसी व्यक्ति की जोत सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाती है और ऐसे व्यक्ति से सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि की सीमा तक विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता रखती हैं। अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो अधिसूचित तिथि से पहले परिवार में अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण नियत दिन के बाद होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप सीमा क्षेत्र की पुनर्गणना का उपबंध करता हो। धारा 9(2) (क) जो नियत दिन के बाद लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण परिवार में परिवर्तनों से संबंधित है, का निर्वचन नियत दिन के बाद लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले किसी अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण परिवार में हुए परिवर्तन को कवर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 9(2)(क) का अंतर्निहित उद्देश्य एक परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण नियत दिन और अधिसूचित तिथि के बीच होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर सीमा क्षेत्र को और कम करना है। उक्त उपबंध का सहारा लेकर किसी अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या अविवाहित पुत्री का विवाह होने के परिणामस्वरूप परिवार में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखकर सीमा क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है। हम इस तथ्य से आँखें नहीं मूंद सकते कि अधिनियम सामान्य हित के लिए भूमि का अधिक न्यायसंगत वितरण प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अधिनियमित किया गया विधान है ताकि संविधान के अनुच्छेद 39 में अंतर्विष्ट निदेशक तत्वों को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे विधान के उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके

और उसे विफल न किया जा सके। अधिनियम की धारा 9(2)(क) के उपबंध पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्वचन अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत चलता है और हमें अधिनियम के उपबंधों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है जो धारा 9(2)(क) पर ऐसा निर्वचन देने को न्यायसंगत ठहराता हो। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को कायम रखने में असमर्थ हैं। हमारे विचार में नियत दिन के बाद किसी अवयस्क पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने या अविवाहित पुत्री का विवाह होने के कारण परिवार में किसी भी परिवर्तन को परिवार के सीमा क्षेत्र की गणना करते समय ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं, अपील के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ-साथ भूमि न्यायाधिकरण द्वारा पारित उन आदेशों को अपास्त किया जाता है जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियत दिन के बाद वयस्कता प्राप्त करने वाले अवयस्क पुत्र के हिस्से को परिवार की जोत से अपवर्जित किया जाना चाहिए और अधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को बहाल किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

आर.पी.

अपील अनुज्ञात की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।